

## 18 April The Hindu

### A Crisis of credibility

- चुनाव लोकतंत्र का आधार है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लोकतंत्र की वैधता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए चुनाव आयोग को अपनी स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए तत्काल सुरक्षा उपायों की जरूरत है।
- वर्तमान में आवश्यकता है कि संवैधानिक नियुक्तियों में सुधार करने और चुनावी कदाचार के लिए पार्टियों के पंजीकरण को रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को शक्तियां प्रदान की जाए।
- भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से लोकसभा व विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराए गए हैं। लेकिन 2019 के आम चुनाव में यह सवालियों के घेरे में आ गया है।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग को फटकार लगाई।
- जाति और धर्म के नाम पर घृणा फैलाने वाले भाषणों और आचार संहिता के उल्लंघन पर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के चुनाव आयोग के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा।
- कुछ चर्चित मुद्दों में एंटी सैटेलाइट परीक्षण शामिल है जो भी आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है, अनुमति के बिना नमो टीवी के लांच पर भी सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग ने हाल ही में प्रधानमंत्री की बायोपिक पर रोक लगाई।
- चुनाव आयोग ने विवादित बयानों के चलते विभिन्न नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कुछ समय के लिए प्रचार करने पर रोक लगाई।
- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है- वर्तमान में सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त की एकतरफा नियुक्ति की जाती है। जिसे एक समिति बनाकर नियुक्त किया जाना चाहिए।
- विधि आयोग ने अपनी 255 वी रिपोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश की थी। जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
- 2018 के अंत में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र कॉलेजियम व्यवस्था के लिए निष्पक्ष न्यायोचित और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की गई थी।
- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके के अलावा चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है।
- चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा तब भी प्रभावित होती है जब वह राजनीतिक दलों का नामांकन रद्द नहीं कर पाते।
- जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को नामांकन रद्द करने की शक्ति नहीं है। चुनाव आयोग ने कई बार पंजीकरण रद्द करने की शक्ति की मांग की है लेकिन अब तक प्रदान नहीं की गई। हालांकि इन सुधारों पर बहस जारी है

#### भारतीय निर्वाचन आयोग

- भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है।
- 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग पर कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है।
- आयोग ने 1950 से 16 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया। 16 अक्टूबर 1989 से एक जनवरी 1990 तक इसे तीन सदस्यीय निकाय में बदल दिया गया लेकिन एक जनवरी 1990 से फिर इसे एक सदस्यीय निकाय में तब्दील कर दिया गया। आखिरकार एक अक्टूबर 1993 से आयोग नियमित रूप से तीन सदस्यीय निकाय के रूप कार्य कर रहा है।
- निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है 65 वर्ष की आयु तक होता है। (इनमें से जो भी पहले हो) महाभियोग लाकर ही इन्हें हटाया जा सकता है।

#### अर्ध-न्यायिक कार्य

- संविधान के तहत, आयोग के पास संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में

सलाहकारी की भूमिका है।

जो उम्मीदवार विधिपूर्वक निर्धारित समय और रीति से अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा दाखिल करने में विफल होते हैं, उनकी चुनावी दावेदारी को रोक सकता है।

चुनाव में यदि कोई कदाचार का दोषी पाया जाता है और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में जाता है तो उसे अयोग्य ठहराने के लिए आयोग की राय ली जाती है। ऐसे मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होती है।

यह अनियमितता व दुरुपयोग के आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को रद्द कर सकता है।

### प्रशासनिक शक्तियां

भारत निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधान सभाओं, विधान परिषदों, निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों आदि के चुनावों का संचालन करता है।

मतदाताओं की सूची तैयार करवाना और उनका निरीक्षण करना।

चुनाव के संबंध में जो वाद-विवाद अथवा संदेह उत्पन्न हो तो उनके निर्णय के लिए चुनाव न्यायालयों की नियुक्ति करना।

राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना।

विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना।

राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना।

यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है।

**न्यायिक समीक्षा:** आयोग के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है। यदि एक बार चुनावों की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो न्यायपालिका मतदान के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती है। मतदान समाप्त हो जाने एवं परिणाम घोषित हो जाने पर आयोग किसी परिणाम का पुनरीक्षण स्वयं नहीं कर सकता है।

संसदीय एवं विधानसभा के चुनावों के संबंध में इसका पुनरीक्षण केवल निर्वाचन याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाती है।

भारतीय चुनाव आयुक्त **टीएन शेषन** ने 1990 से 1996 के दौरान चुनाव प्रणाली को मजबूत बनाया। उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा शक्तियां मिलीं तथा चुनाव सुधार लागू हुए, फर्जी मतदान पर रोक लगाई गयी। साथ ही आचार संहिता का सख्ती से पालन शुरू हुआ।

लोकतंत्र की नींव और ज्यादा मजबूत हुई। पार्टियों और प्रत्याशियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए पर्यवेक्षक तैनात करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन हुआ।

### मुख्य परीक्षा प्रश्न

**प्रश्न-** विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव संचालन के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णयों की विवेचना करते हुए निर्वाचन आयोग पर उठ रहे प्रश्न चिन्हों की समीक्षा कीजिए।